उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या– 65 /8–3–18–65 विविध/2016
लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2018

विज्ञप्ति

विषयः– उ0प्र0 भू–सम्पदा अपील अधिकरण में सदस्यो के पदो पर नियुक्ति।

भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 एवं उ0प्र0 भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली–2016 के प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 भू–सम्पदा अपील अधिकरण का गठन किया जाना है। अपील अधिकरण में **तीन सदस्य** (जिसमें से कम से कम 1 न्यायिक सदस्य तथा 1 प्रशासनिक/तकनीकी सदस्य होगा) हेतु विज्ञापन आमंत्रित किये जा रहे है। अपील अधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि, सेवा शर्ते, शक्तियॉ एवं कार्य तथा पद से हटाया जाना आदि भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अध्याय–7 एवं उ0प्र0 भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 2016 के अध्याय–7 मे वर्णित है। उक्त अधिनियम, 2016 तथा नियमावली, 2016 आवास बन्धु, उ0प्र0 की वेबसाइट www.awasbandhu.in पर अवलोकित किया जा सकता है।

2– भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–46 में अपील अधिकरण के सदस्यों की अर्हता एवं नियुक्ति की व्यवस्था निम्नवत् है :–

(b) in the case of a Judicial Member he has held a judicial office in the territory of India for at least fifteen years or has been a member of the Indian Legal Service and has held the post of Additional Secretary of that service or any equivalent post, or has been an advocate for at least twenty years with experience in dealing with real estate matters; and

(c) in the case of a Technical or Administrative Member, he is a person who is well-versed in the field of urban development, housing, real estate development, infrastructure, economics, planning, law, commerce, accountancy, industry, management. public affairs or administration and possesses experience of at least twenty years in the field or who has held the post in the Central Government, or a State Government equivalent to the post of Additional Secretary to the Government of India or an equivalent post in the Central Government or an equivalent post in the State Government.

3– अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को वेतन और भत्ते उ0प्र0 भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली–2016 के नियम–27(1) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार देय होंगे।

4– उ0प्र0 भू–सम्पदा अपील अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के लिए उक्त मानदण्ड पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्ति न्यायिक तथा तकनीकी/प्रशासनिक सदस्य पद हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र के प्रारूप **को आवास बन्धु, उ0प्र0 की वेबसाइट www.awasbandhu.in से डाउनलोड कर पूर्ण आवेदन–पत्र वांछित अभिलेखों सहित आवास बन्धु, उ0प्र0 की** e-mail-awasanubhag3@gmail.com पर **दिनांक 15.02.2018 समय सांय 05:00 बजे तक** भेज सकते हैं। दिनांक 15.02.2018 को सांय 05:00 बजे के बाद प्राप्त होने वाले कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपूर्ण आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5– राज्य या केन्द्र सरकार या अन्य किसी संगठन के अन्तर्गत सेवारत् व्यक्ति अपना आवेदन समुचित माध्यम से उक्त तिथि तक भेज सकते है।

(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव

V Yadav Writ UO–2017

उ0प्र0 भू–सम्पदा अपीलीय अधिकरण में **सदस्य पद** हेतु आवेदन पत्र

आवेदित पद (न्यायिक/तकनीकी/प्रशासनिक)–

पासपोर्ट साइज नवीनतम् फोटो स्वहस्ताक्षर सहित

(i) आवेदक का नाम–

(ii) पिता का नाम–

(iii) जन्म तिथि (DD/MM/YY)-

(iv) दिनांक 01.01.2018 को आयु (YY /MM/DD)-

(v) लिंग– (पुरूष/महिला)

(vi) ई–मेल आई डी–

(vii) आधार नं0–

(viii) शैक्षिक योग्यता–

(ix) मो0नं0–

(x) पत्राचार का पता

(xi) स्थायी पता–

(xii) सेवा विवरण–

* (क) धारित सेवा एवं अवधि-----

(ख) अनुभव (विस्तृत विवरण अंकित करें)------

(ग) विशेषज्ञता क्षेत्र -----

(xiii) अंतिम ग्राह्य वेतनमान-----

(xiv) प्रथम सूचना रिपोर्ट (यदि कोई हो) का विवरण–

(xv) भू–सम्पदा विनियमन और विकास अधिनियम, 2016 की धारा–47(2) के अन्तर्गत घोषणा–

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त लिखित शैक्षिक एवं अन्य अर्हता सम्बन्धी सूचनायें मेरी जानकारी में पूर्ण एवं सत्य हैं। यदि कोई दी गई सूचना सही नहीं पायी जाती है तो अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों को देने के परिणामों से भली–भांति अवगत हूं। यदि आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाये जाते है तो मैं, मेरे विरूद्ध भा0द0वि0, 1960 की धारा–199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिए, स्वयं उत्तरदायी होंउंगा/होउंगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि यदि मेरे द्वारा की गयी दस्तावेजों का स्व–प्रमाणीकरण या घोषणा गलत पायी जाती है या मेरे द्वारा गलत दस्तावेजों का स्व–प्रमाणीकरण किया जाता/गया है, तो मेरे द्वारा प्राप्त की गयी सभी प्रकार की सुविधा तत्काल वापस ले ली जाए।

स्थान–

दिनांक–

आवेदक के हस्ताक्षर

* **भारतीय विधिक सेवा के अधिकारी उक्त सेवा में "अपर सचिव" या उसके समतुल्य धारित पद का उल्लेख करें।**

* **तकनीकी/प्रशासनिक सदस्य पद के आवेदक भारत सरकार में "अपर सचिव" या राज्य सरकार में उसके समतुल्य धारित पद का विवरण अंकित करें तथा धारित पद भारत सरकार अथवा राज्य सरकार में अपर सचिव पद से किस प्रकार समतुल्य है, भी स्पष्ट करें"।**